भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3225

उत्तर देने की तारीख: 29/03/2023

गरीब और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाना

3225 # श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ रही है;
(ख) क्या यह सच है कि विद्यार्थियों का रूझान विदेशों में जाने का है क्योंकि भारत में उच्च शिक्षा विशेषकर चिकित्सा शिक्षा अधिक महंगी है; और
(ग) सरकार उच्च शिक्षा तक गरीब, मध्यम वर्ग के छात्रों की पहुंच बनाने के लिए क्या प्रयास कर रही है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क): अप्रवासन ब्यूरो, गृह मंत्रालय भारतीयों के प्रस्थान और आगमन संबंधी डाटा रखता है। लेकिन उच्चतर शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों का कोई सूचकांक नहीं है। विदेश जाने के लिए भारतीयों का उद्देश्य या तो अप्रवासन मंजूरी के समय उनके मौखिक प्रकटीकरण या उनके द्वारा प्रस्तुत गंतव्य देश के वीज़ा के प्रकार के आधार पर मैन्युअल रूप से दर्ज किया जाता है। 2019 से 2022 तक विदेश जाने के दौरान अध्ययन/शिक्षा के रूप में अपनी यात्रा के उद्देश्य को बताने वाले भारतीयों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	2019	2020	2021	2022
संख्या	5,86,337	2,59,655	4,44,553	7,50,365

(ख) और (ग): राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 में उन निजी चिकित्सा संस्थानों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में पचास प्रतिशत (50%) सीटों के संबंध में फीस और अन्य सभी शुल्कों के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का प्रावधान है जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत शासित हैं। तदनुसार, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग

(एनएमसी) ने दिशानिर्देश तैयार किए हैं और उन्हें 03.02.2022 को जारी किया गया था। सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की है जिसके परिणामस्वरूप एमबीबीएस सीटों में वृद्धि हुई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 से पहले 387 थी जो अब 69% की वृद्धि के साथ 654 हो गई है। इसके अलावा, एमबीबीएस सीटों की संख्या 2014 से पहले 51348 थी जो अब 94% की वृद्धि के साथ 99763 हो गई है और पीजी सीटों की संख्या 2014 से पहले 31185 थी जो अब 107% की वृद्धि के साथ 64559 हो गई है। देश में मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों/कदमों में शामिल हैं:

i. जिला/रेफरल अस्पताल का उन्नयन कर नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना जिसके अन्तर्गत स्वीकृत 157 में से 94 नए मेडिकल कॉलेज पहले ही चल रहे हैं।
ii. एमबीबीएस और पीजी सीटें बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना।
iii. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) योजनाओं के "सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन" के तहत कुल 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 60 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
iv. नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत 22 एम्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 19 में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं।
v. संकाय, कर्मचारियों, बिस्तरों की संख्या और अन्य अवसंरचना की आवश्यकता के संदर्भ में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के मानदंडों में छूट।
vi. संकाय की कमी को पूरा करने के लिए संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी) योग्यता को मान्यता दी गई है।
vii. मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों/डीन/प्राचार्य/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/विस्तार/पुनर्नियोजन हेतु आयु सीमा बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है।

सरकार गरीब, मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए विभिन्न पहल कर रही है जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति, फीस में छूट या आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति; आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए **10%** आरक्षण; एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण; जेईई परीक्षा में शामिल होने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए तैयारी कक्षाएं; जेईई परीक्षा स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं आदि में आयोजित की जा रही है।

****